ज्ञापन-पत्र जिसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके कारण उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2023) को प्रख्यापित करना आवश्यक समझा गया।

उत्तर प्रदेश में नगरपालिका से सम्बन्धित विधियों को समेकित करने के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) अधिनियमित है।

नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के आरक्षण को निर्धारित करने की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9–क की उपधारा (5) एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 7 की उपधारा (5) में संशोधन करने के आशय से राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त–शासन विधि (संशोधन), अध्यादेश, 2023 को प्रख्यापित करने के पश्चात् विधायी विभाग द्वारा दिनांक 29–03–2023 को उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2023 के रूप में अधिसूचित किया गया था।

उक्त अध्यादेश में वर्णित प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की अनन्तिम अधिसूचना प्रकाशित करके आपत्तियाँ प्राप्त कर, आरक्षण को अन्तिम रूप प्रदान करने के संबंध में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9–क की उपधारा (5) में खंड (1) के पश्चात् खंड (2) जोड़े जाने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया।

मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए अध्यादेश प्रख्यापित किया जाये।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

ए0 के0 शर्मा

मंत्री,

नगर विकास।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2023)

[उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अन्तर्गत प्रख्यापित किया गया तथा दिनांक 6 अप्रैल, 2023 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–2 खण्ड (क) में प्रकाशित हुआ]

[भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नही है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है ;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए होगा।

(3) यह 29 मार्च, 2023 को प्रभावी होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 9-क का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में धारा 9-क की उपधारा (5) में उपखण्ड (1) के पश्चात निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(2) आवंटन आदेश—(क) पूर्वगामी खण्डों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, राज्य सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या का अवधारण करके गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा पदों को नगर पालिकाओं को आवंटित करेगीः—

(ख) उपखण्ड (क) के अधीन आदेश का प्रारूप आपत्तियों के लिये कम-से-कम सात दिन की अवधि के लिये प्रकाशित किया जायेगा।

(ग) राज्य सरकार आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी, परन्तु उन आपत्तियों पर तब तक व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना आवश्यक न होगा जब तक कि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक न समझे और तदुपरान्त यह अंतिम हो जायेगा।

(घ) उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट आदेश का प्रारूप सम्बन्धित जिले में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा और उसे जिला मजिस्ट्रेट तथा सम्बन्धित नगर पालिका के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर चस्पा किया जायेगा।''

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 27 सा0 विधायी—1—8—2023—(1498)—1,000 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।